

कार्यालय प्रधानाचार्यः जी० एस० वी० एम० मेडिकल कालेज, कानपुर।

पत्र संख्या- / ई०सी०-1/एन०डी०/2024

दिनांक 10/10/2024

सूचना :-

शासन के पत्र संख्या-148/71-1-24/71-1001/804/2020 दिनांक 14 जून 2024 द्वारा राजकीय एलॉपैथिक मेडिकल कालेजों में रिक्त चिकित्सा शिक्षकों के पदों को सविदा के आधार पर वाक-इन-इन्टरव्यू माध्यम से घयन के मामलों में नियुक्ति/तेजाती व अस्थायी के तत्काल कार्यभार ग्रहण कराये जाने हेतु सेवायोजन विज्ञापन संख्या-182/एन०डी०/2024 दिनांक 29-06-2024 के तन्मर्त में राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में विभिन्न विभागों/द्रामा सेंटर के अन्तर्गत सविदा के आधार पर आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर सेवायोजन हेतु विज्ञापन की गयी है, जिसके आधार पर रोजी के उपचार/एन०एन०टी० (एन०सी०आई०) मानकों की पूर्ति हेतु इस चिकित्सा महाविद्यालय/सुपर स्पेशियलिटी इन्स्टीट्यूट (पी०एन०एन०एन०एन०एन०) रिक्त आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के पदों को सविदा के आधार पर नये जाने हेतु इन पदों पर घयन वाक-इन-इन्टरव्यू (walk-in-interview) पद्धति से शासन द्वारा नियुक्त घयन समिति के माध्यम से किया जायेगा। इच्छुक अस्थायी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सहायक हेतु अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ विज्ञापन जारी होने के पश्चात मांग के अनुसार दिनांक 11-10-2024 को परीक्षा हॉल-3, मेडिकल कालेज, कानपुर में प्रातः 10:00 बजे से सायं-04:00 बजे के मध्य उपस्थित हो। अस्थायी को यह भी सूचित किया जाता है कि वह सहायक के दिवस अपने समस्त शैक्षिक/अनुभव प्रमाण पत्रों/सोव पत्रों तथा एन०एन०एन०टी० की गाइड लाइन के अनुसार सहायक आचार्य हेतु सीनियर रेजीडेन्सी एवं आचार्य/सह आचार्य हेतु एन०एन०टी०/पी०सी०पी०आर० प्रमाण पत्र की (सब प्रमाणित) प्रतियाँ/प्रतियों का एक सेट बायोडाटा सहित भी लाने। चिकित्सा शिक्षकों के पदों की रिक्तियों एवं नियुक्ति की शर्तें जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज, कानपुर के वेबसाइट www.gvmmmedicalcollege.com पर उपलब्ध है। पदों की सूची पृष्ठ 2 पर दत्त है।

क्र. सं.	विशेषता का नाम	सविदा चिकित्सा शिक्षकों की रिक्त पदों की संख्या									
		आचार्य	आरक्षित श्रेणी	रोस्टर कमाक	सह आचार्य	आरक्षित श्रेणी	रोस्टर कमाक	सहायक आचार्य	आरक्षित श्रेणी	रोस्टर कमाक	
1	आर्थोपैडिक्स	1	ओ०बी०सी०	(3)	1	अनारक्षित	(32)	1	ओ०बी०सी०	(3)	
		1	अनारक्षित	(4)	1	ओ०बी०सी०	(57)	1	ओ०बी०सी०	(9)	
		1	एस०सी०	(53)	1	अनारक्षित	(58)	1	अनारक्षित	(102)	
2	आथलमोलॉजी	0	0	0	1	एस०सी०	(59)	1	अनारक्षित	(103)	
		0	0	0	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(60)	1	अनारक्षित	(104)	
3	आल्सट्रेटिक्स एण्ड गायनोकोलाजी	0	0	0	1	अनारक्षित	(64)	1	अनारक्षित	(8)	
		0	0	0	1	ओ०बी०सी०	(65)	1	अनारक्षित	(84)	
4	इम्यूनो हिमेटोलॉजी एण्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन	1	अनारक्षित	(54)	0	0	0	0	0	(106)	
		1	ओ०बी०सी०	(55)	1	अनारक्षित	(66)	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(110)	
5	इमरजेन्सी मेडिसिन	1	अनारक्षित	(56)	1	अनारक्षित	(67)	1	एस०सी०	(111)	
		1	अनारक्षित	(56)	1	ओ०बी०सी०	(67)	1	अनारक्षित	(112)	
6	एन्डोकायनोलॉजी (पीएमएसएसआई)	1	अनारक्षित	(38)	1	ओ०बी०सी०	(37)	1	एस०सी०	(59)	
		0	0	0	0	0	0	1	ओ०बी०सी०	(39)	
7	एनाटमी	0	0	0	0	0	0	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(40)	
		0	0	0	0	0	0	1	ओ०बी०सी०	(40)	
8	एनेस्थीसिया	0	0	0	1	अनारक्षित	(8)	1	एस०सी०	(11)	
		0	0	0	1	अनारक्षित	(38)	1	अनारक्षित	(14)	
9	आई०सी०यू०एनेस्थीसियोलॉजी (पीएमएसएसआई)	1	ओ०बी०सी०	(39)	1	अनारक्षित	(68)	1	एस०सी०	(15)	
		1	अनारक्षित	(39)	1	एस०सी०	(69)	1	ओ०बी०सी०	(113)	
10	ऑटो लैरिगोलॉजी(ई०एन०टी०)	1	ओ०बी०सी०	(57)	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(70)	1	एस०सी०	(115)	
		1	अनारक्षित	(57)	1	ओ०बी०सी०	(71)	1	अनारक्षित	(118)	
11	कम्युनिटी मेडिसिन	0	0	0	1	अनारक्षित	(72)	1	ओ०बी०सी०	(119)	
		0	0	0	1	अनारक्षित	(12)	1	ओ०बी०सी०	(61)	
12	किटिकल केयर आई०सी०यू० (पीएमएसएसआई)	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(40)	1	एस०सी०	(41)	0	0	(50)	
		0	0	0	1	अनारक्षित	(12)	1	ओ०बी०सी०	(17)	
13	जनरल मेडिसिन	0	0	0	1	ओ०बी०सी०	(75)	1	अनारक्षित	(78)	
		0	0	0	1	अनारक्षित	(76)	1	ओ०बी०सी०	(77)	
14	जनरल सर्जरी	0	0	0	1	ओ०बी०सी०	(85)	1	एस०सी०	(21)	
		0	0	0	1	अनारक्षित	(86)	1	अनारक्षित	(23)	
15	द्यूबरकुलोसिस एण्ड रेस्पिरेटरी मेडिसिन	0	0	0	1	ओ०बी०सी०	(87)	1	अनारक्षित	(24)	
		0	0	0	1	अनारक्षित	(88)	1	ओ०बी०सी०	(44)	
16	डरमिटोलॉजी (स्कीन एण्ड वी०डी०)	1	ओ०बी०सी०	(65)	1	एस०सी०	(89)	1	ओ०बी०सी०	(65)	
		1	अनारक्षित	(65)	1	अनारक्षित	(89)	1	एस०सी०	(99)	
17	न्यूरोलॉजी	0	0	0	1	ओ०बी०सी०	(91)	0	0	(27)	
		0	0	0	1	अनारक्षित	(91)	0	0	(27)	
18	न्यूरोसर्जरी	1	अनारक्षित	(26)	0	0	0	0	0	0	
		1	अनारक्षित	(26)	0	0	0	0	0	0	
19	न्यूरो रेडियोलॉजी (पीएमएसएसआई)	1	अनारक्षित	(42)	1	अनारक्षित	(44)	0	0	0	
		1	अनारक्षित	(42)	1	अनारक्षित	(44)	0	0	0	

20	नेफोलोजी, (मेडिसिन) नेफोलोजी(पीएमएसएसवाई)	0	0	0	1	अनारक्षित	(18)	0	0	0	
21	पीडियाट्रिक्स	0	0	0	1	एसओसी अनारक्षित ओबीओसी	(93) (94) (95)	1 1 1 1 1 1 1	0 एसओसी ईओडब्ल्यूएसओ ईओडब्ल्यूएसओ ओबीओसी ईओडब्ल्यूएसओ एसओसी ईओडब्ल्यूएसओ ओबीओसी	0 (69) (30) (70) (139) (140) (141) (170) (171)	
22	पेन मेडिसिन (पीएमएसएसवाई)	1	एसओसी	(45)	1	एसओसी	(47)	1	ओबीओसी	(71)	
23	पैथालोजी	0	0	0	0	0	0	1	अनारक्षित	(92)	
24	फार्माकालोजी	1	एसओसी	(49)	1	एसओसी अनारक्षित	(25) (34)	1 1	अनारक्षित एसओसी अनारक्षित	(45) (93) (144)	
25	फार्मसी	0	0	0	0	0	0	1	अनारक्षित	(48)	
26	फिजिकल एण्ड मेडिकल रिहैबिलिटेशन (पीएमएसएसवाई)	1	अनारक्षित	(46)	0	0	0	0	अनारक्षित	(49)	
27	फिजियोलोजी	0	0	0	0	0	0	1	अनारक्षित	(46)	
28	फोरेन्सिक मेडिसिन	1	अनारक्षित	(52)	0	0	0	1	अनारक्षित	(96)	
29	बायोकेमिस्ट्री	1	ओबीओसी	(51)	1	अनारक्षित	(96)	1	अनारक्षित	(147)	
30	माइक्रोबायोलोजी	0	0	0	1	एसओसी	(97)	1	अनारक्षित	(98)	
31	मेडिकल गैस्ट्रोइन्ट्रोलोजी (पीएमएसएसवाई)	0	0	0	1	ईओडब्ल्यूएसओ	(50)	0	अनारक्षित	(149)	
32	यूरोलोजी (पीएमएसएसवाई)	0	0	0	1	ओबीओसी	(51)	1	अनारक्षित	(150)	
33	रेडियोलॉजी	1	ओबीओसी	(37)	1	ईओडब्ल्यूएसओ अनारक्षित एसओसी ईओडब्ल्यूएसओ एसओसी अनारक्षित	(30) (98) (99) (100) (101) (102)	1 1 1 1 1 1	अनारक्षित अनारक्षित अनारक्षित अनारक्षित अनारक्षित अनारक्षित	(37) (38) (56) (152) (153) (154) (155) (156) (157) (161)	
34	साइकियेट्री	1	अनारक्षित	(68)	1	ओबीओसी अनारक्षित	(103) (108)	0	अनारक्षित	(161)	
						62		102			

उक्त पदों पर नियमानुसार आरक्षण देय होगा संविदा पर नियुक्ति की शर्त निम्नवत है:-

- संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यों का नियत वेतन ₹-2,20,000/-, सह आचार्यों का नियत वेतन ₹-1,80,000/-, सहायक आचार्यों को नियत वेतन ₹-1,20,000/- एवं प्रवक्ता फार्मसी-₹ 75000/- प्रतिमाह है। इस हेतु आवेदनकर्ता को Medical Council of India, Minimum Qualification For Teachers in Medical Institutions Regulations, 2022 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अहताएं एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
- शासनादेश संख्या- 2282/71-1-2013-जी-11/2011 दिनांक 23-09-2013 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षकों को संविदा पर नियुक्ति किये जाने की अधिकतम आय सीमा 70 वर्ष होगी।
- शासनादेश सं-562/71-1-2020-जी-63/2008 दिनांक 10 जून, 2020 द्वारा संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आय नियुक्ति वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को सहायक आचार्य हेतु 60 वर्ष, सह आचार्य हेतु 64 वर्ष एवं आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी।
- चयन से सम्बन्धित कालेज से उत्तीर्ण अस्थायी तथा नये स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अस्थायी को पूर्ववर्ती अस्थायी पर वरीयता प्रदान की जायेगी।
- चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अहता/शैक्षिक अनुभव उO प्रO राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अस्थापकों की जारी सेवा नियमावली (पंचम संशोधन)-2018 एवं समय-समय पर पूर्व में निर्गत सेवा नियमावली में नियत व्यवस्था के अनुसार होगी।
- ओपीओडी के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
- प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राइवेट प्रैक्टिस के स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
- कोई भी चिकित्सा शिक्षक इस चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों में आये सेनियों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
- प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेजों में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के दृष्टिगत हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
- उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमत्त नहीं होंगे।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
- ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात लोक सेवा से चयनित अस्थायी/नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोषजनक सेवा के आधार पर कार्यकाल पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह करार होने के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा शासन तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को तत्काल भेजी जायेगी।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार की पेशान सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे उक्त कालावधि के लिए कोई बोनस देय नहीं होंगे।
- चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमतीकरण के लिए हकदार नहीं होगा।
- संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय 01 माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन मुगतान करके समाप्त की जा सकती है।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्त ऐसी होगी जैसे करार या अनुबन्ध पत्र में विनिर्दिष्ट की जाये। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों के अनुबन्ध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह भविष्य में अपने कार्य एवं अपने कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमतीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमत्त होगी।
- अस्थायियों से साक्षात्कार के समय इस आशय का घोषणा पत्र भी प्राप्त किया जायेगा कि उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में कोई अपराधिक वाद प्रचलित नहीं है, यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवाएँ समाप्त कर दी जायेगी।
- उOप्रOशासन, कार्मिक अनुभाग-2, उOप्रO लखनऊ के कार्यालय आप सं-1/2019/4/1/2002/का-2/19 टी.सी.-II दिनांक 18-02-2019 के अन्तर्गत ईओडब्ल्यूएसओ (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु कुल वार्षिक आय ₹ 8,00,000 लाख से कम होगी तथा परिवार की आय और परिसम्पत्ति का प्रमाण पत्र सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार से अनिन्ध अधिकारी द्वारा जारी/प्रमाणित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण नोट पर देखा जा सकता है।
- सुपर स्पेशियलिटी के पदों की शैक्षिक अहता नवीन एनओएसओ ग्राइड लाइन के अनुसार अनुमत्त होगी।
- सुपर स्पेशियलिटी के पदों का समायोजन होने की दशा में पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।
- जो अस्थायी एनओडी/एनओएसओ के अतिरिक्त कोई अन्य योग्यता रखता/रखती है, तो उसे वरीयता दी जायेगी।

प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज, कानपुर

सं-302 / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्न लिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उOप्रO लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापित को वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करे।
- समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उOप्रO।
- नोडल अधिकारी वेब साइट, मेडिकल कालेज, कानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापित को वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।

प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज, कानपुर